निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 999) पटना, बुधवार, 30 दिसम्बर 2020

0kkf.kT;&dj foHkkx

---

vf/klpuk

30 दिसम्बर 2020

एस0 ओ0 241, दिनांक 30 दिसम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 129, दिनांक 09 जून, 2020 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद के खंड (i) के परंतुक में,–

(i) ''नवंबर, 2020 के 29वें'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''मार्च, 2021 के 30वें '' अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''नवंबर, 2020 के 30वें'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''मार्च, 2021 के 31वें'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. इस अधिसूचना को दिसंबर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।

[सं0 सं0 बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–(खंड–11) 2436)],
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 दिसम्बर 2020

एस0 ओ0 241, दिनांक 30 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं0 सं0 बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–(खंड–11) 2436)],
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th December 2020

S.O. 241, Dated 30th December 2020—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 09th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),

(i) for the words, figures and letters "29th day of November, 2020", the words, figures and letters "30th day of March, 2021" shall be substituted.

(ii) for the words, figures and letters "30th day of November, 2020", the words, figures and letters "31st day of March, 2021" shall be substituted

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of December, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 2436]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 999-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in